न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–दतिया

म/सिगरानी/दतिया/भूरा/2017/4870

स्वामी शरण पुत्र श्री अमोल सिंह यादव
निवासी – ग्राम वागुर्दनफिरोज तहसील इन्दरगढ जिला – दतिया (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

कोमल सिंह पुत्र श्री किशोरी शरण
निवासी – ग्राम वागुर्दनफिरोज तहसील इन्दरगढ जिला – दतिया (म.प्र.)

.....अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/बी–121 /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, अनावेदक कोमल सिंह द्वारा एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष संहिता की धारा 107 (5) के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुरानी आराजी सर्वे नं. 192/3 रकवा 0.138 एवं 192/4 रकवा 2.023 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 2.15 एवं बंदौबस्त वार उक्त सर्वे नं. के नवीन सर्वे नं. 343 रकवा 0.62 एवं 344 रकवा 0.62 345 रकवा 0.61 कुल किता 3 कुल रकवा 1.85 है0 बनाये गये है। जिसमें बंदौबस्त के दौरान पुराने सर्वे नं. की जगह नवीन सर्वे नं. निर्मित कर रकवा कम कर दिया गया है। और अक्श में परिवर्तन कर दिया है नये सर्वे नं. 343 पर कोमल सिंह काबिज है। जबकि राजस्व अभिलेख में 343 स्वामी शरण के नाम अंकित कर दिया है। और कोमल सिंह का रकवा कम कर दिया है इसलिये सर्वे नं. 343 पर, कोमल सिंह का एवं 344 पर स्वामी शरण का नाम सुधार कराये जाने एवं रकवा दुरूस्त कराये जाने के आदेश दिये जाये।

2 यहकि, अनावेदक के उपरोक्त आवेदन पत्र का जबाव आवेदक द्वारा दिया गया एवं बताया कि अनावेदक मूल सर्वे नं. 192 कि वास्तविक स्थिति का लेख नहीं किया है। और न हीं सर्वे नं. 192 मं इतने बंटाकन हुये है इसका भी लेख नहीं है भूमि सर्वे नं. 192 में बंटा नं. 192/1/2 धनीराम पुत्र दिसुआ के नाम 192/5 घमंडी पुत्र बलू प्रजापति जिसके नये नं. 416, 417, 192/2 झार सिंह पुत्र देव प्रसाद, 192/3 एवं 192/4 सीता राम पुत्र अमोल सिंह एवं कोमल सिंह, जसवंत सिंह, पुत्रगण किशोरी शरण यादव भाग समान के नाम राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज थीं। सर्वे क्रमांक 192/3 एवं 192/4 से निर्मित नये सर्वे नं. 343, 344, 345 जो स्वामी शरण,

(1)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निग./दतिया/भू.रा./2017/4870 जिला– दतिया

स्थान तथा दिनांक	स्वामीशरण कार्यवाही तथा आदेश कोमल सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-18	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी, अभि.उप. । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुकम में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश 23.11.2017 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह अंकित करते हुए कि "विवादित सर्वे कमांकों के संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मौके पर जाकर बिना भौतिक सत्यापन किए प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर दतिया द्वारा पुनः प्रकरण नायब तहसीलदार की ओर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मौके पर जाकर जांच प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गये है। 4– अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश से किसी भी पक्ष के हित प्रभावित नहीं हो रहे है वहीं उभयपक्षों को नायब तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.11.17 विधिसंमत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से स्थिर रखा जाता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अनुकम में नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें तथा नायब तहसीलदार को	

स्वामीप्रसाद "2" कोमल सिंह जिला - दतिया

आदेशित किया जाता है कि वे पक्षकारों को पक्षसमर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपर कलेक्टर के आदेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा0 रिकार्ड हो।

सदस्य
राजस्व मण्डल ग्वालियर